पिलवायी गई, इसमें वादग्रस्त भूमि अधिसूचित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही करने आदेश दिये गये है वकील प्रार्थी प्रा.पत्र धारा 212 R.B.T. पर बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया कि वादग्रस्त ग्राम रीछा प.ह. रीछा तहसील व जिला भीलवाड़ा की भू.न. 1289, 1290, 1291, 1298, 1330, 525, 530 कुल 7 कुल रकबा 1.0496 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त आमलाती खातेदारी भूमि है। विपक्षी सं. 1 व 2 बिना विभाग कराये संयुक्त आमलाती कृषि भूमि को विक्रय कर खुर्द-खुर्द करके धोखाधड़ी से मूल्यवान कृषि भूमि को विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराये जाने की प्रार्थना की है। अतः प्रकरण में मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उभयपक्ष राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखें। पश्चात्वर्ती कैफियत दुरुस्त होकर मूलवाद की पत्रावली संलग्न की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा